न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः– **04 / 2016** आवंटन निरस्ती

1. श्री माना पिता दोला डांगी, निवासी बिकरणी, तह. मावली, जिला उदयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता मोडा जी भील (गमेती), निवासी बिकरणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्री भीमराज पिता मोडा जी भील (गमेती), निवासी बिकरणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्री चमना पिता डालूराम जी भील (गमेती), निवासी बिकरणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
4. श्री रामा पिता डालूराम जी भील (गमेती), निवासी बिकरणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
5. श्री ईसा पिता डालूराम जी भील (गमेती), निवासी बिकरणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
6. मु. तुलसी बेवा डालूराम जी भील (गमेती), निवासी बिकरणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर
7. श्रीमती कंकु (पिता मोडा जी) पत्नी मेगा जी भील (गमेती), निवासी संगावला, चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
8. श्रीमती सुन्दरबाई (पिता मोडा जी) पत्नी केसा जी भील (गमेती), निवासी धोलाखूंटा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
9. श्रीमती उदी बाई (पिता मोडा जी) पत्नी खेलाजी भील (गमेती), निवासी नउआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर
10. श्रीमती मांगी (पिता मोडा जी) पत्नी मांगू जी भील (गमेती), निवासी बेरण तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद
11. श्री लखमीचन्द पिता लच्छा जी भील (गमेती), निवासी छापरा, विजनवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली
13. श्री मांगीलाल पिता श्री खुमा जी भील निवासी नेता का गुडा, तहसील मावली जिला उदयपुर

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवन्टन नियम 1970

उपस्थितः
1. श्री खेमराज डांगी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री विजय कुमार ओस्तवाल अधिवक्ता विपक्षी सं.1,2,3,6,7,9,10,11
3. श्री मनोज कुमार पंवार विपक्षी सं. 12
4. श्री गौरव बाबेल अधिवक्ता विपक्षी सं. 13

निर्णय

दिनांकः—27.11.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आवन्टन निरस्ती अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन निरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिकरणी के आराजी नं. 1364 में से 5 बीघा भूमि विपक्षी सं. 1 से 10 के पिता मोडा पिता वगता भील को दिनांक 26.08.77 को पत्रावली सं. 436/77 उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर हाल मावली से आवंटन हुआ। जिनका आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा । आवंटित भूमि को कभी आबादान नहीं किया। आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई। धोखे से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। खातेदारी अधिकार प्राप्त होते ही विपक्षी सं. 1 से 10 द्वारा विपक्षी सं. 11 को बिना अधिकार के विक्रय कर दी। परन्तु मौके पर कभी भी कब्जा नहीं दिया गया। उक्त भूमि पर विगत 35 वर्षो से कब्जा प्रार्थी का होकर इस भूमि के चारों ओर पत्थर की कोट बना रखी है। लौहे की गेट लगा रखी है। दो मंजिला मकान भी बना रखा है। जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। ट्यूबवेल भी खुदवा रखी है। काफी खर्चा कर भूमि को आबादान की है। इस भूमि के पडौस इस प्रकार है— पूर्व : मेन रास्ता, पश्चिम : दीपजी का मकान, उत्तर : तुलसीराम जी मेनारिया का मकान, दक्षिण : तलाई । मोडा द्वारा कब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। आवंटित के आराजी नं. भी अंकित नहीं है। ना किसी प्रकार की जांच की गई। पटवारी को जो आदेश दिया गया, वह भूमि के नियमन का है। जबकि तारीख 26.08.77 के पूर्व आवंटी मोडा का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा । ना ही धारा 91 के तहत कोई कार्यवाही हुई। पुराना कब्जा ही नहीं था तो नियमन किस प्रकार हुई। मात्र पटवारी हल्का से मिलकर बिना नियमो की पालना किये खातेदारी करा ली। उसके वारिसानों का भी इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। उनके द्वारा विपक्षी सं. 11 को विक्रय किये जाने पर विपक्षी सं. 11 श्री लख्मीचन्द द्वारा उक्त पडौस की भूमि में जबरन कब्जा करने को आमादा है। जिस पर आवंटन की जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा जानकारी कर आवंटन आदेश की नकले निकलवाकर कथित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर कथित आवंटन/नियमन आदेश निरस्त फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षीगणो द्वारा जवाब प्रस्तुत किये गये जो संलग्न पत्रावली है।

विपक्षी सं. 11 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि मोडा पिता वगता भील को आवंटित भूमि की खातेदारी प्राप्त होने पर विपक्षी सं. 1 से 10 द्वारा अपने खाते की आराजी नं. 1364 रकबा 5 बिघा भूमि मुझ विपक्षी सं. 11 को बेह कर कब्जा सिपुर्द किया था, तब से मेरा कब्जा चला आ रहा है। खरीद दिनांक से उक्त भूमि पर मेरा ही कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि में मेरे द्वारा ज्वार की

फसल भी काश्त की है। उक्त आराजी नक्शे में तरमीम होने पर आराजी सं. 1364/3 दर्ज हुए है। प्रार्थी द्वारा मुझ विपक्षी सं.11 के कब्जे में जबरन दखलअंदाजी करना चाहा । जिस पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सहायक कलक्टर मावली के न्यायालय में कर रखा है। मुझ विपक्षी सं. 11 को घरेलु कार्य हेतु रूपये की सख्त आवश्यकता होने से मेरे द्वारा आराजी सं. 1364/3 रकबा 5 बिघा भूमि को दिनांक 06.07.16 को मांगीलाल पिता खुमा जी भील निवासी नेता का गुडा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है। उनके नाम पर राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज हो चुकी है। जो भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

विपक्षी सं. 1 से 10 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नं. 1364 पूर्व में मोडा पिता वगता भील निवासी बिकरणी के नाम खातेदारी हक से दर्ज थी। उनकी मृत्यु के बाद हमारे नाम बतौर वारिसान राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। उक्त आराजी पर हमारा कब्जा चला आ रहा था एवं उपयोग/उपभोग की जाती रही। खातेदारी भी नियमों के तहत हुई। 40 वर्ष पश्चात प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2011 में रूपये की आवश्यकता होने से विपक्षी सं. 11 के पक्ष में निष्पादित कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। इस भूमि के चारो ओर पत्थर की कोट एवं कच्ची बाड कर रखी है। इस भूमि पर प्रार्थी का कोई मकान व ट्यूबवेल नहीं है। 40 वर्ष बाद प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। मोडा पिता वगता को भूमि का आवंटन नियमों के अनुसार ही किया गया। दिये गये खातेदारी अधिकार भी नियमों के तहत ही है। उक्त भूमि वर्तमान में आराजी नं. 1364/3 से नक्शे में तरमीम हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

विपक्षी सं. 13 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोडा पिता वगता को आंवटित भूमि उनकी मृत्यु के बाद बतौर वारिसान विपक्षी सं. 1 से 10 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। उक्त भूमि का खातेदारी अधिकार मोडा के जीवनकाल में ही प्राप्त हो चुके थे। उक्त आवंटन हुये भी 40 वर्ष हो चुके है। 40 वर्ष बाद प्रार्थी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। विपक्षी सं. 1 से 10 को जायज जरूरीयात में रूपये की आवश्यकता होने से उनके द्वारा अपने अधिकारो के तहत विपक्षी सं. 11 को वर्ष 2011 में विक्रय कर दिया गया था। विपक्षी सं. 11 लखमीचन्द पिता लच्छा भील द्वारा भी दिनांक 06.07.16 को उक्त भूमि मुझ विपक्षी सं. 13 मांगीलाल पिता खुमा भील निवासी नेता का गुडा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्दु किया तब से उपरोक्त आराजी नं. 1364/3 रकबा 5 बिघा भूमि मुझ विपक्षी सं.13 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर कब्जेकाश्त की जा रही है। नियम 14(4) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। मौजा बिकरणी की आराजी सं. 1364 रकबा 31 बिघा था और 5 बीघा भूमि मोडा को आवंटन हुई। जो बाद तरमीम आराजी सं. 1364/3 है। नक्शे में भी मकान एवं ट्यूबवेल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। आराजी नं. 1364 के संबंध में 1364 के बट्टा नम्बर बाद में 1364, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1364/4 हुए है, 1364 का खाता 11 बीघा

मगरी के रूप में है एवं 1364/1 दस बिघा बंजड भूमि के रूप में बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में है, आराजी नं. 1364/2 रकबा 5 बिघा मुझ मांगीलाल पिता श्री खुमा भील के नाम दर्ज है एवं आराजी नं. 1364/3 रकबा 5 बीघा से मुझ मांगीलाल पिता खुमा भील के नाम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बिकरणी की आराजी नं. 1364 में 5 बीघा भूमि पर प्रार्थी का 35 वर्षो से कब्जा होकर मौके पर भूमि को काबिल काश्त बनाई है। भूमि के चारो ओर पत्थर का कोट बना रखा है, ट्यूबवेल लगा रखा है, मकान बना रखा है। जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कब्जा होकर काश्त की हुई है। परन्तु दिनांक 26.08.77 को उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 10 के पिता मोडा पिता वगता भील को किस प्रकार से आवंटन या नियमन कर दी गई, जबकि इस भूमि पर कभी भी आवंटी का कब्जा नहीं रहा। उसकी मृत्यु बाद उसके वारिसान विपक्षी सं. 1 से 10 का कब्जा नहीं रहा, ना ही इनके द्वारा कभी काश्त की गई। आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई। फिर भी हल्का पटवारी द्वारा आवंटी मोडा पिता वगता भील को उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से आवंटी मोडा पिता वक्ता के वारिसान 1 से 10 द्वारा उक्त भूमि को विपक्षी सं. 11 को विक्रय कर दी गई। विपक्षी सं. 11 द्वारा भी दिनांक 06.07.16 को विपक्षी सं. 13 मांगीलाल पिता खुमा को विक्रय कर दी गई। उक्त भूमि पर विपक्षी सं. 11 लखमीचन्द का भी कभी कब्जा नहीं रहा, नाही विपक्षी सं. 13 मांगीलाल का कब्जा रहा। उक्त भूमि पर विपक्षीगणों द्वारा जबरन कब्जा करने की नीयत से भूमि पर आये तो पक्षकारानों के मध्य पुलिस कार्यवाही भी हुई, परन्तु विपक्षीगण द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं कर सके। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने से तहसील कार्यालय मावली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही भी की गई, जिसके नोटिस व पेनाल्टी की रसीदे संलग्न पत्रावली है। न्यायालय में तद्समय पटवारी कोमल छावडा द्वारा दिनांक 23.10.18 को अपने बयान में भी प्रार्थी का कब्जा आराजी नं. 1364 में होना बताया है। विपक्षी सं. 1 से 10 के पिता द्वारा भूमि का आवंटन धोखे से प्राप्त किया है। अतः धोखे से प्राप्त किया गया आवंटन को इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे।

विपक्षी सं. 1 से 11 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों के आधार पर निवेदन किया कि मौजा बिकरणी की आराजी नं. 1364 में 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 26.08.77 को आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा जो कब्जा सिपुर्द किया गया उस दिनांक से आज तक आवंटित भूमि पर कब्जा विपक्षीगणों का ही है। प्रार्थी द्वारा 40 वर्ष बाद गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दाद प्राप्त करना चाहा रहा है जिसका वह अधिकारी नहीं है। आवंटी मोडा पिता वगता भील की मृत्यु के बाद उसके वारिसान विपक्षी सं. 1 से 10 के नाम

भूमि दर्ज हुई, जिन्हे रूपयों की जायज जरूरीयात होने से उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से विपक्षी सं. 11 लखमीचन्द पिता लच्छा भील को विक्रय कर दी गई एवं मौके पर कब्जा भी सिपुर्द कर दिया गया। आराजी नं. 1364 का रकबा 31 बीघा था। जिसमें से 5 बीघा भूमि मोडा को आवंटित हुई थी। जिसकी तरमीम 1364/3 रकबा 5 बीघा से नक्शे में हुई। विपक्षी सं. 11 को भी पारिवारिक कारण से रूपये की आवश्यकता होने से उक्त भूमि को दिनांक 06.07.16 को मांगीलाल पिता खुमा भील निवासी नेता का गुडा को विक्रय कर दी। मौके पर इन्हे कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद होने से खारीज फरमाया जाये। अपनी बहस की ताईद में DNJ 2012(1)(Raj) Page NO. 413, DNJ 2011(2)(Raj)Page NO.709, RRT 2009 (2)Page NO.1299, RRT 2007(2)Page NO.1194, RRT 2007 (2)Page NO.1081, RRT 2003(2)Page NO.921, RRT 2009 (1)Page NO.453, DNJ 2017(1)(Raj) Page NO. 287, RRD 14.2.2010 Page No. 79, DNJ 2012(2)(Raj) Page NO. 662, RRD 1977 Page No. 191 की नजीरे प्रस्तुत की।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 13 द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी का यह कथन गलत है कि मेरे द्वारा ट्यूबवेल लगा रखा है, चारो ओर पत्थर की कोट बना रखी है, मकान बना रखा है, उक्त सम्पूर्ण कथन प्रार्थी के गलत है। हकीकत यह है कि दिनांक 06.07.16 के बाद में उक्त भूमि पर कब्जा मेरा है, मौके पर मेरे द्वारा ज्वार की फसल काश्त की है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद 14(4) के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते है। आराजी नं. 1364/3 रकबा 5 बीघा जो की नक्शे में भी तरमीम हो चुका है। नक्शे में भी मकान एवं ट्यूबवेल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। आराजी नं. 1364 के संबंध में 1364 के बट्टा नम्बर बाद में 1364, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1364/4 हुए है, 1364 का खाता 11 बीघा मगरी के रूप में है एवं 1364/1 दस बिघा बंजड भूमि के रूप में बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में है, आराजी नं. 1364/2 रकबा 5 बिघा मुझ मांगीलाल पिता श्री खुमा भील के नाम दर्ज है एवं आराजी नं. 1364/3 रकबा 5 बीघा से मुझ मांगीलाल पिता खुमा भील के नाम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली 436/77 के अवलोकन करने पर जाहिर आया कि मूल आवंटी मोडा पिता वगता भील के नाम पर खाते में कोई भूमि नहीं होने से मौजा बिकरणी के आराजी नं. 1364मी मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 26.08.77 को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की जाकर पटवारी हल्का विजनवास द्वारा दिनांक 03.09.77 को आवंटी मोडा को भूमि का कब्जा मौतबिरानो के रूबरू सिपुर्द किया गया। वक्त आवंटन आवंटी मोडा पिता वगता भील भूमिहीन था। आवंटन नियमों में भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को आवंटन में प्राथमिकता का भी प्रावधान है। राजस्थान भू राजस्व (सरकारी भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 नियम 14(4)

खातेदारी अधिकार प्राप्त होने और आवंटन के 37–38 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करना अन्याय संगत है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन नियम 14(4) लागू नहीं होता है एवं इसके तहत आवंटन को खारीज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खातेदारी अधिकार प्राप्त होते ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार मिल जाते है। प्रकरण में चूंकि आवंटन वर्ष 1977 में किया गया था एवं मूल आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे। वर्तमान में उक्त भूमि थर्ड व्यक्ति के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र उपरोक्त विवेचन के अनुसार अस्वीकार किया जाकर, किया गया आवंटन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.01.27 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: